07/8/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/9/23 को पेश हो।

6/9/23 [illegible] दिनांक 19/9/23 को पेश हो।

19/9/23 पत्रावली पेश हुयी। वादी की ओर से श्री [illegible] एड० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, नौतनवा को तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 23/10/23 को पेश हो।

23/10/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/12/23 को पेश हो।

13/12/23 वकील वादी उपस्थित। इन्तजार रिपोर्ट [illegible] पत्रावली दिनांक 9/1/2024 को पेश हो।

9/1/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/01/24 को पेश हो।

1/1/24 वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वास्ते बहस [illegible] दिनांक 30/1/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 12:49:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या 441/2022
सरदार मल बनाम भूमिधारी

0 1/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 282, 351, 498, 501 ग्राम नापावाली में वादी के पिता के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम सांवता व दादा का नाम श्योलाराम दर्ज है जो गलत है। वादी के पिता ग्रामीण पृष्ट भूमि के व्यक्ति थे जिन्हे उक्त गलती की जानकारी नही हो सकी। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम सांवलराम पुत्र शिवलाल दर्ज है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेजो में भी पिता का नाम सांवलराम सही दर्ज है दस्तावेज पेश किये हैं । ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया है जिन्होने भी प्रमाणित किया है कि सांवता पुत्र श्योलाराम निवासी नापावाली का शुद्व नाम सांवलराम पुत्र शिवलाल है। तहसीलदार जी ने भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर पेश की है जिससे भी मेरे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जावें एवं वादगस्त भूमि में वादी के पिता एवं दादा का नाम सांवता पुत्र श्योलाराम के स्थान पर सांवलराम पुत्र शिवलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि 282, 351, 498, 501 ग्राम नापावाली में वादी के पिता व दादा का नाम का नाम सांवता पुत्र श्योलाराम दर्ज रिकार्ड है। जबकि दावा द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत नापावाली का प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का मांकड़ी के अवलोकन से जाहिर है कि सांवता पुत्र श्योलाराम व सांवलराम पुत्र शिवलाल दौनो नाम एक ही व्यक्ति के है जिसका सही व शुद्व नाम सांवलराम पुत्र शिवलाल है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी हल्का, एवं तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर दावा वादिया साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आघार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नापावाली प[illegible] मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 38, 170 में दर्ज [illegible] सांवता पुत्र श्योलाराम के स्थान पर सांवलराम पुत्र शिवलाल [illegible] राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। [illegible] राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु पर्चा डिकी मुर्तीव हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 12:49:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner